



राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन 2009-10

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
राजस्थान

महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां

सूचना प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण 01.12.2007 को किया गया। नीतिगत उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों का सृजन एवं विकास,
- रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता,
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ई-प्रशासन तंत्र द्वारा बेहतर सूचनाओं एवं सेवाओं की उपलब्धता से व्यक्ति एवं समाज का सशक्तिकरण,
- सरकार-नागरिक के मध्य व्याप्त दूरी को मिटाना।

बजट घोषणा 2009-2010

- समस्त सरकारी विभागों के आयोजना बजट का 3 प्रतिशत भाग नागरिक केन्द्रित ई-प्रशासन हेतु सुनिश्चित किया गया है। यह सम्पूर्ण देश में इस तरह का प्रथम प्रयास है। इस वित्तीय प्रावधान के प्रभावी उपयोग हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 19.11.09 को दिशानिर्देश का लोकार्पण किया गया। इसकी निरंतरता में समस्त सरकारी विभागों द्वारा न्यूनतम दो नागरिक केन्द्रित सेवाएँ चिन्हित कर सी.एस.सी कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु भी दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स परियोजना (NEGP) के दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में ई-गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से चार समितियों मुख्यतः :- ई-प्रशासन परिषद (State e-Governance Council), राज्य स्तरीय शीर्षस्थ समिति (State Level Apex Committee), परियोजना ई-प्रशासन लक्ष्य दल (Project e-Governance Mission Team) तथा राज्य ई-प्रशासन लक्ष्य दल (State e-Governance Mission Team) का गठन किया गया है।

ई-गवर्नेन्स – जनता के लिये सूचना संचार तकनीक आधारित सेवायें

- **ई-मित्र** – राज्य के सम्पूर्ण जिलों में ई-मित्र परियोजना क्रियान्वित कर दी गई है। यह परियोजना सी.एस. सी. परियोजना के समान है जो कि शहरी क्षेत्र में कियोस्क के माध्यम से विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करवा रही है।



ई-मित्र परियोजना का ऑन लाइन प्रबोधन <http://emitra.gov.in> तथा <http://urban.emitra.gov.in> पर उपलब्ध है।

- **Chief Minister Information System (CMIS)** (www.cmis.rajasthan.gov.in) - मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकास कार्यों की कम्प्यूटर की सहायता से तीव्र गति से समीक्षा करने के उद्देश्य से Chief Minister Information System (CMIS) का क्रियान्वयन किया गया। इसके माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं, केन्द्रीय प्रवर्तित, राजकीय एवं अन्य वित्तीय



सहायता से क्रियान्वित, का प्रबोधन किया जाता है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं, बजट घोषणाओं इत्यादि का प्रबोधन भी इस तंत्र द्वारा किया जाता है। जिलों में किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी इस तंत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेतु समय समय पर उपलब्ध करवायी जाती है। वर्तमान में परियोजना का विकास करते हुये इसमें आवश्यकतानुसार 18 नये मॉड्यूल जोड़े जा रहे हैं।

- **आपदा प्रबंधन तंत्र** (<http://dmrd.rajasthan.gov.in>) आपदा राहत कार्यों का संचालन सुचारु एवं त्वरित गति से करने के लिए एक वेब आधारित एकीकृत आपदा प्रबंधन सूचना तंत्र विकसित किया गया है। इस तंत्र के माध्यम से राज्य में राहत कार्यों के तहत कि जा रही विभिन्न गतिविधियों पर कही से और कभी भी

निगरानी एवं नियंत्रण पारदर्शिता तरीके से रखी जा सकती है।

आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्देश्य

- मदवार खातों (बजट स्वीकृति एवं व्यय) की स्पष्ट एवं ताजा जानकारी उपलब्ध कराना।
- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग तथा जिला कलेक्टर कार्यालय के बीच की दूरी को कम करना।
- मानवीय (मैनुअल) कागजी कार्यवाही में लगने वाली देरी को कम करना।
- आपदा प्रबंधन एवं सहायता के तहत किये गये कार्यों एवं व्यय की स्थिति की सूचनाओं का जिलेवार संग्रह।
- कहीं भी एवं किसी भी समय बेहतर जानकारी की उपलब्धता।
- शीर्ष स्तर के अधिकारियों द्वारा राहत कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा।
- कुशल एवं पारदर्शी प्रशासन हेतु सूचना की उपलब्धता।

इस तंत्र के माध्यम से निम्न कार्य संपादित किये जा सकते हैं—

1. जिला कलेक्टर द्वारा जिले में राहत कार्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक राशि के आबंटन के

लिए आपदा प्रबंधन विभाग को मांगपत्र जारी करना।

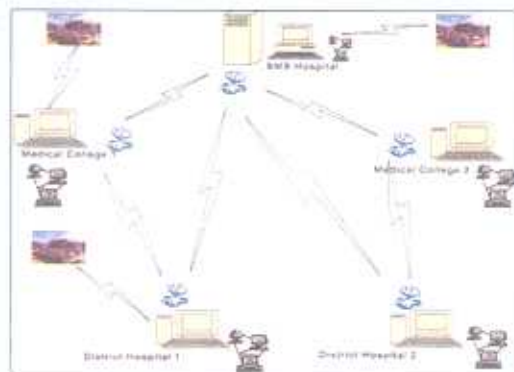
2. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त मांग पत्र के अनुसार आवश्यक बजट स्वीकृत करना।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की प्रविष्टि करना।
4. स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना।
5. आबंटित बचत के आधार पर आपदा राहत कार्यों पर किये गये व्यय का रख रखाव।
6. विभिन्न आपदाओं जैसे — अकाल, बाढ़, मूसलाधार बारिश इत्यादि में किये गये विभिन्न राहत कार्यों के संबंध में सूचना एवं रिपोर्ट जैसे भौतिक प्रगति रिपोर्ट, वर्षा की स्थिति, पीने के पानी की प्रगति संबंधित, पशुओं के संरक्षण संबंधित इत्यादि भारत सरकार को उनके चाहे प्रारूप में उपलब्ध कराना।
7. श्रमिक सीमा के लिये आवश्यक स्वीकृति जारी करना।
8. राहत कार्यों के तहत लगायी गयी श्रमिकों के लिये मस्टर रोल्स जारी करना।
9. तंत्र के विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिये आवश्यक एम.आई.एस.

रिपोर्ट निकालना जैसे वित्तीय स्वीकृति संबंधित, व्यय संबंधित, मांगपत्र संबंधित इत्यादि।

10. जिले/विभागवार राहत कार्यों के लिये आबंटित राशि का रख रखाव।

तंत्र की आदिनांक स्थिति -

- इस तंत्र को उपयोग में लेने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण सभी जिलों के सहायता कार्यों से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 17 अगस्त, 2009 से 19 अगस्त, 2009 तक दिया गया।
- वर्तमान में सभी जिलों द्वारा इस तंत्र का परीक्षण किया जा रहा है।
- जिला कलेक्टर से प्राप्त पत्र/फैक्स के आधार पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति इस तंत्र के माध्यम से ही जारी की जा रही है।
- **स्वास्थ्य मित्र : टेलिमेडिसिन** - राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विशिष्ट चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये इसरो (ISRO) की सहभागिता से राज्य में टेलिमेडिसिन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत संभागीय मुख्यालयों पर स्थित 6 चिकित्सा महाविद्यालयों



तथा 31 जिला अस्पतालों, के मध्य यह सुविधा आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इन में से 37 केन्द्रों पर यह सुविधा सफलता पूर्वक आरंभ कर दी गई है।

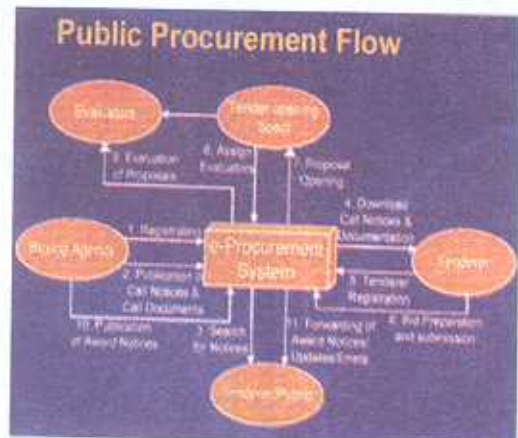
- **पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग परियोजना (सारथी)** - पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सभी 259 उप पंजीयक कार्यालयों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। किसी भी एस.आर. कार्यालय के क्षेत्र में आने वाली स्थावर संपत्ति का पंजीकरण किसी भी स्थान से करवाने की व्यवस्था हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित कर जयपुर के 11 उप पंजीयक कार्यालयों में पायलट आधार पर परीक्षण हेतु क्रियान्वित कर दिया गया है।
- राज्य की सभी 241 तहसीलों के 68 लाख भू-धारियों के रिकॉर्ड्स को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। जमाबंदियाँ जनता को कियोस्कों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

- **वैट (VAT) स्वचालित तंत्र** (www.rajtax.gov.in) राज्य में क्रियान्वित किया जा चुका है। राज्य के 11 ज़ोनल मुख्यालय एवं 56 नियमित वृत्तों पर वैट ऑकाउंटिंग तंत्र क्रियान्वित कर दिया गया है। अन्य गतिविधियाँ जैसे — डीलर का पंजीयन एवं राजस्व संग्रहण रजिस्टर का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इस परियोजना में e-payment एवं e-returns को फाइल करने की सुविधा भी है। वर्तमान में समस्त e-returns इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल किये जा रहे हैं।

इस सुविधा के द्वारा 31 दिसम्बर 2009 तक 5616 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहण किया गया।

- **राज्य सरकार के विभागों में बैक एण्ड कम्प्यूटरीकरण** — वर्ष 2005 से सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में विभिन्न विभागों के बैकएण्ड कम्प्यूटरीकरण हेतु बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- **ई-क्रय तंत्र** — राजकीय विभागों में विभिन्न सामग्रीयों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने एवं समयबद्धता को कम करने के उद्देश्य से ई-प्रक्योरमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। प्रथम चरण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण



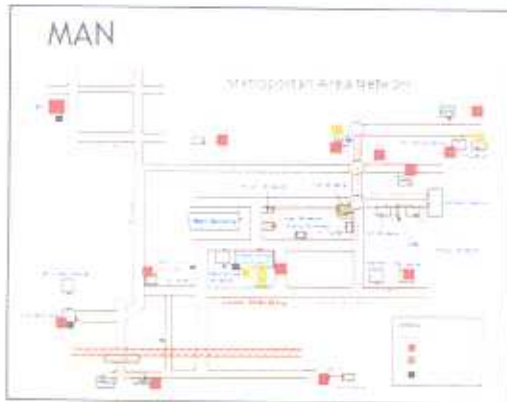
विभाग द्वारा इस तंत्र के माध्यम से टेंडर किए जा रहे हैं। आदिनांक तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के 22 टेंडरों को इस तंत्र के द्वारा अन्तिम रूप दिया जा चुका है। वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के 20 से अधिक टेंडर, राजकॉम्प के टीएडी, आरपीएससी, राजभवन, और सीएमआईएस परियोजनाओं के टेंडर, इस तंत्र के माध्यम से किए जा रहे हैं।



- **विकास दर्पण-** भौगोलिक सूचना तंत्र – विकास दर्पण – विकेन्द्रित योजना के लिये एक यन्त्र है। इस तंत्र के द्वारा राज्य के 32 जिलों, 241 तहसीलों एवं 41000 गांवों का संपूर्ण नक्शा एवं सैन्सस 2001 के संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध करवाये जाते हैं। वेब आधारित GIS एप्लीकेशन <http://gis/rajasthan.gov.in> भी विकसित की जा चुकी है।
 - वित्तीय वर्ष 2008-09 में इसका उपयोग कर 12 अभाव ग्रस्त जिलों व ग्रामों को नक्शे पर दिखलाने का अभिनव प्रयोग किया गया।
 - नागरिक सेवा केन्द्र (CSC) के लिये चिन्हित सभी गांवों को भी विकास दर्पण पर दिखलाया गया है।
- **डिजिटाइजेशन एवं ई कंटेंटलोगिंग** (<http://ancientdocuments.rajasthan.gov.in>) and (<http://ancientcoins.rajasthan.gov.in>) – राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर तथा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर के पुरातत्व ग्रन्थ एवं दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन कार्य प्रगति पर है साथ ही पुरातत्व एवं संग्राहलय विभाग के प्राचीन एवं दुर्लभ सिक्कों के डिजिटाइजेशन एवं ई कंटेंटलोगिंग का कार्य किया जा रहा है।
- **Litigation Information, Tracking & Evaluation System (LITES)** – इस परियोजना का विकास राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निबटारे के लिये किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र के इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण

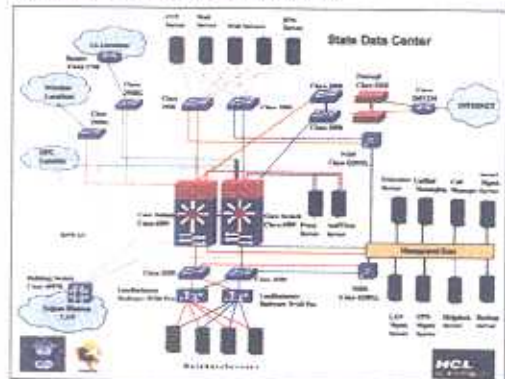
- राज्य के 33 जिला-कलैक्टर कार्यालयों को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा द्वारा राज्य सचिवालय से जोड़ दिया गया है। दिनांक 09.08.2004 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग नेटवर्क राज्य को समर्पित कर दिया गया था।
- राज्य सचिवालय में 5000+ नोड्स का सचिवालय लोकल एरिया नेटवर्क (SecLAN) क्रियाशील कर दिया गया है, जिसके लिये कम्प्यूटर उपकरण, प्रिन्टर्स तथा आई.पी. फोन मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित कर दिये गये हैं। 32 जिलों (प्रतापगढ़ के अतिरिक्त) में एन.आई.सी. के नेटवर्क से आई.पी. फोन लगा दिये गये हैं। जयपुर शहर के 37 सरकारी भवनों के मध्य



MetroPoliton Area Network – MAN, क्रियाशील कर दिया गया है। 3 अन्य भवन भी MetroPoliton Area Network के अन्तर्गत लिये जा रहे हैं।

- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सूचनाओं के केन्द्रीय भंडारण हेतु राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द्र (State Data Centre-SDC) कार्यशील हैं। वर्तमान में राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द्र में 154 वेब साईट स्थापित कर कार्यशील कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय सूचना/डेटा केन्द्र में जी.आई.एस., ई-क्रय तंत्र, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिए राजक्रेस्ट परियोजना के सर्वर एवं अन्य सरकारी विभागों की विभिन्न परियोजनाओं के सर्वर सफलतापूर्वक निरन्तर कार्य कर रहे हैं।
- राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों की जनता को सरकार से सुलभ संवाद स्थापित

Technical Architecture (State Data Center)



करने के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में दो Mobile V-SAT Van क्रियाशील कर दी गयी है। इस सुविधा का उपयोग इस वर्ष अक्टूबर-नवम्बर महिनों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य चेतना यात्रा में किया गया।

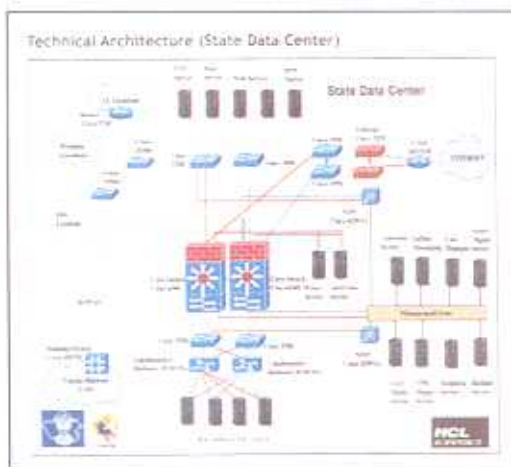
मानव संसाधन विकास

- सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण-** ई-गवर्नेन्स को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये कम्प्यूटर प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर निजी प्रशिक्षण संस्थाओं को सूचीबद्ध कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं। वर्ष 2008-09 से आदिनांक तक लगभग 10000 से अधिक कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- शैक्षणिक संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी की अवसंरचना का निर्माण- भारत सरकार द्वारा पोषित योजना के अन्तर्गत राज्य के 10 सरकारी कन्या विद्यालयों एवं 8 महाविद्यालयों में 10-10 कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं। 2000 अन्य विद्यालयों में भी इस वित्तीय वर्ष में कम्प्यूटर स्थापित कर दिये जायेंगे।

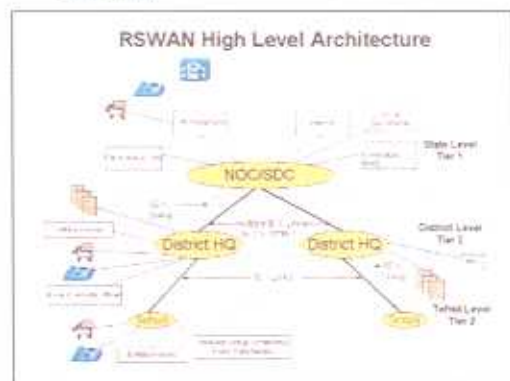
एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन

- **स्टेट डाटा सेंटर** - एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता रुपये 48 करोड़ के सहयोग से राज्य के नये सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नवीन डेटा सेंटर निर्माणाधीन है। इस परियोजना हेतु आदिनांक तक भारत सरकार से रुपये 10.74 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं।



इस परियोजना हेतु आमंत्रित निविदाएं दिनांक 26.10.2009 को खोली गयीं जिसके तहत 6 कम्पनियों की निविदाएं प्राप्त हुई हैं। स्टेट डाटा सेंटर चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक कार्यरत हो जावेगा।

- राज्य सरकार ने संचार आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिकतम बनाने के उद्देश्य से राज्य व्यापी नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे कि प्रशासनिक क्षमता एवं प्रभाव का विकास होगा।
- RajSWAN परियोजना के लिये कुछ वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एन.ई.जी.पी. परियोजना के अन्तर्गत दी जा रही है। शेष वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार द्वारा दी जायेगी।



- इस परियोजना द्वारा प्रदेश के 32 जिलों व 241 तहसीलों को राज्य

मुख्यालय से जोड़ा जायेगा। इस नेटवर्क द्वारा आंकड़ों, ध्वनि एवं विडियो से संबंधित संचार सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

- इस सुविधा द्वारा जिला व तहसील प्रशासनिक कार्यालय, डी. एल.ओ, पी आर आई, व ई-मित्र कियोस्क आपस में जुड़ सकेंगे।
- परियोजनाओं की क्रियान्विति हेतु वांछित निविदा प्रपत्र तैयार कर केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना है।
- **स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे**—राष्ट्रीय ई-प्रशासन परियोजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम विकसित किया जाना है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा चयनित सलाहकार मै.

आई.एल.एफ.एस. ने अन्तरिम गेप रिपोर्ट तैयार की है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। परियोजना के अन्तर्गत भारत सरकार के केन्द्रिय पोर्टल के अनुरूप राज्य पोर्टल की स्थापना का भी प्रावधान है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स के. पी.एम.जी. को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के प्रथम चरण में कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उद्यान, ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षा विभाग एवं जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की मुख्य परियोजनाओं का कम्प्यूटरीकरण हेतु चयन किया गया है।

सौ दिवसीय कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन

- **वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा**— सचिवालय तंत्र एवं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क का विस्तार करके, एन.आई.सी. के तकनीकी सहयोग से, समस्त जिला कलेक्टर को वॉयस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकॉल सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। 32 जिला कलेक्टर कार्यालयों में आई.पी. फोन स्थापित कर क्रियाशील कर दिये गये हैं।

जयपुर से प्रतापगढ़ तक यह सुविधा आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करवाई जायेगी।



CSCS CONSTRUCTION SKILLS CERTIFICATION SCHEME
Construction of Excellence

Home About CSCS Training Register Card Renewal Lost Card Contact Us

What is the CSCS?

The Construction Skills Certification Scheme (CSCS) is a not-for-profit organisation that was set up in 1997. It is a joint venture between the Construction Industry Training Board (CITB) and the Construction Skills Partnership (CSP). The scheme is designed to ensure that all construction workers have the necessary skills and knowledge to work safely and effectively on construction sites. It does this by issuing cards to workers who have passed a relevant test. The cards are valid for a set period of time and must be renewed. The scheme also provides training and assessment services for workers who are new to the industry or who need to update their skills.

CSCS Logo

© CSCS 2009

विक्रय एवं आईटीजेड रीचार्ज किये जा रहे हैं।

समस्त जिला कलैक्टरों को सी.एस.सी. परियोजना के क्रियान्वयन के लिये विस्तृत दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं।

झुन्झुनु, अलवर, सीकर, जयपुर, उदयपुर, कोटा बून्दी, जालौर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बारां और झालावाड़ जिलों के कलैक्टरों से 29 अक्टूबर 2009 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की गई।

ग्रामीण स्तर तक सीएससी परियोजना के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिये वेब आधारित एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। पोर्टल का यूआरएल www.cscmis.emitra.gov.in है।

- **जन सेवा केन्द्र (Common Service Centre)** – राज्य के समस्त सात संभागों पर इस परियोजना का क्रियान्वयन M/s CMS and M/s Zoom Technologies के माध्यम से शुरू हो गया है। आदिनांक तक 243 कियोस्क प्रारंभ कर दिये गये हैं। इनके माध्यम से रेलवे रिजर्वेशन, बस रिजर्वेशन, नवीन बीमा पॉलिसी पंजीयन, सभी प्रकार के मोबाइल रीचार्ज समस्त डी.टि.एच रीचार्ज, टाटा स्काई सेट टॉप बाक्स का

- **राजस्थान शहरी सूचना तंत्र का क्रियान्वयन (RUIS)**— इस तंत्र के द्वारा राजस्थान राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना, क्रियान्वयन एवं ई-प्रशासन समाधान हेतु जी.आई.



एस. यंत्र एवं नक्शे उपलब्ध होंगे। प्रथम चरण में भरतपुर संभाग के अतिरिक्त सभी 6 संभागीय मुख्यालयों के शहरी नक्शे डिजिटাইज कर आम जनता के लिये वेब साईट के माध्यम से उपलब्ध करा दिये गये हैं। यह सुविधा <http://ruis.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध करवा दी गयी है।

- **आरोग्य ऑन लाइन** - सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर की पूर्ण कम्प्यूटरीकरण परियोजना वर्तमान में जारी है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में इमरजेंसी, आउट पेशेंट पंजीयन, बिलिंग, जांच (सेंट्रल लैब), इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट, पूछताछ तथा फार्मसी एवं दवा विभाग को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्त में सभी छः मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों एवं 9 जिला अस्पतालों में लागू किया जावेगा।



वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 में आरोग्य ऑनलाईन को जयपुर के अतिरिक्त अन्य सभी 5 मेडिकल कॉलेज व उनसे सम्बद्ध 23 अस्पताल तथा 9 जिला अस्पतालों में लागू किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत लगभग रुपये 65.00 करोड़ है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सी-डेक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 05.11.2009 को समस्त 5 मेडिकल कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। समस्त सक्षम स्तर पर अनुमोदन पश्चात सी-डेक के साथ दिनांक 15.02.2010 को MOU हस्ताक्षरित किया जाना प्रस्तावित है।



अजमेर, गंगानगर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं भिवाड़ी तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण में क्रियान्वयन कर दिया गया है।

नवीन / अभिनव परियोजनाएँ

- **सेकलेन** के अन्तर्गत इन्टरा सेकलेन स्थापित करने हेतु सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन तैयार कर लिया गया है जिसके अन्तर्गत सेकलेन के उपयोगकर्ताओं को होम पेज उपलब्ध हो सकेगा जिस पर मीटिंग शड्यूलर, मीटिंग नोटिस जारी करने की सुविधा (एस.एम.एस. सुविधा के साथ), बुलेटिन बोर्ड, अवकाश का आवेदन पत्र, राजकीय कलेण्डर, अपना वेतन जानने की सुविधा इत्यादि उपलब्ध हो सकेंगे। इस परियोजना को <http://seconline.rajasthan.gov.in> पर कार्यान्वित कर दिया गया है।
- **नागरिक सेवा केन्द्र** – जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थापित नागरिक सेवा केन्द्र के आधार पर राज्य के 10 नगर सुधार न्यासों में नागरिक सेवा केन्द्र स्थापित किये जा रहें हैं। इस सुविधा का समस्त 9 नगर सुधार न्यासों :- अलवर, कोटा,
- **13th National e-Governance Conference** जयपुर में आयोजित की गयी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
- **सुगम** – एन.आई.सी. के सहयोग से सुगम जन सेवा प्रदाता परियोजना में क्रियान्वित की जायेगी। इसके अंतर्गत जन-अभियोग प्रबोधन एवं निराकरण के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा तथा सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु एवं सूचना के अधिकार संबंधित जानकारी और जन-अभियोग हेतु सहायता पटल के लिए राज्य स्तरीय कॉल सेंटर तैयार किया जायेगा।
- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी **इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय** द्वारा एम.सी.ए., बी.सी. ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेगा

उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जायेगा।

- राजकीय महाविद्यालयों में निजी क्षेत्र की सहभागिता से 'नालेज सेंटर' स्थापित किये जा रहे हैं। जयपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में नालेज सेंटर कार्यशील कर दिये गये हैं।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाइड को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर.के.सी. एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

- राज्य सरकार ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने के लिये एवं IT/ITES क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिये नास्काम के साथ MoU Sign किया है।

- कम्प्यूटरीकृत केरियर काउन्सलिंग— राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित साक्षर छात्रों एवं युवाओं को विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा एवं रोजगार संबंधित सूचना तथा काउन्सलिंग उपलब्ध करवाने हेतु एक तंत्र की स्थापना प्रक्रियाधिन है। इसके अन्तर्गत एन. आई.सी. एवं शिक्षा विभाग के विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग तथा ऐजुसेट सुविधा के माध्यम से राज्य मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों द्वारा दूरस्थ प्रणाली के उपयोग से सूचना उपलब्ध करवायी जायेगी।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

- पंचायत समिति एवं पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से पंचायतीराज विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के तकनीकी सहयोग से भारत निर्माण राजीव गांधी विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना हेतु पंचायतीराज विभाग प्रशासनिक विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी और

संचार विभाग नोडल विभाग मनोनित किये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 19.11.2009 को दूदू पंचायत समिति, दूदू में सबसे पहले भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की नींव रखी गई।

इस केन्द्र पर आई.टी. संसाधनों की सहायता से सरकार से सरकार एवं सरकार से नागरिक संवाद, ई-लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग आदि



सुविधाएं विकेन्द्रित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना संभव हो सकेगा। इसके अतिरिक्त पानी, बिजली के बिल जमा होने के साथ ही रेल, बस टिकिट, जमाबंदी की नकल, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ अन्य सेवाएं एवं विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के भवन में नरेगा के परियोजना अधिकारी का कार्यालय भी स्थापित किया जायेगा जिनकी देख-रेख में अन्य कार्यों के साथ-साथ नरेगा के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी संपादित किया जायेगा।

भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु निम्नलिखित स्रोत द्वारा वित्तीय प्रावधान किये जायेंगे:-

- NABARD
- NREGS
- Backward Region Grant Fund (BRGF)

नाबार्ड ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण हेतु 49.17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

ब्लाक स्तर पर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की निर्माण लागत 25 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायत स्तर पर 10 लाख रुपये है। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र की सिविल निर्माण लागत 21.80 लाख रुपये है तथा सोलर पावर बेकअप की निर्माण लागत 3.20 लाख रुपये है।

शहरी क्षेत्र में आने वाले 124 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण नाबार्ड एवं बी.आर.जी.एफ द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता द्वारा किया जा रहा है (85 सेवा केन्द्र केवल नाबार्ड द्वारा एवं 35 सेवा केन्द्र नाबार्ड एवं बी.आर.जी.एफ द्वारा)।

ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले 124 भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का निर्माण NREGS एवं बी.आर.जी.एफ द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता द्वारा किया जा रहा है (73 सेवा केन्द्र केवल NREGS द्वारा एवं 35 सेवा केन्द्र NREGS एवं बी.आर.जी.एफ द्वारा)। इस हेतु भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं।

Government of Rajasthan
Information Technology & Communication Department

Statement showing the position of expenditure for the year 2009-10

(Rs. in lacs)

Sr.	Name of Item Project	Budget Estimates			Modified Budget Provision			Exp. Upto 31.12.09	Remarks
		Committed	New	Total	Committed	New	Total		
A.	3454-02-203-(01) [01] Hd. Qtr.								
1	Creation of New Posts	0.01	40.80	40.81	0.01	40.80	40.81	0.00	
2	Common Facilities at Y.B.	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	
3	Maintenance of IT Building	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	
4	Grant in Aid (Token)	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
5	A- Training & Seminar	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	11.30	
	B- Training & Seminar- for SCST	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
	C- Training & Seminar - for Tribal Area	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
	Sub Total - 5 (Training Seminar)	100.02	0.00	100.02	100.02	0.00	100.02	11.30	
6	Hiring of Vehicle	3.25	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	2.49	
7	Incentive (Awards for IT) including IT Policy	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
A.	3454-02-203-(01) [02] Distt. Hd. Qtr.								
1.	Creation of new posts	0.00	99.20	99.20	0.00	99.20	99.20	0.00	
	Total (A-3454)	133.29	155.00	288.29	133.29	155.00	288.29	13.79	
B.	5475-800-(03)-62								
1	CMIS	75.00	50.00	125.00	75.00	50.00	125.00	23.00	
2	Procurement of HW/SW for SDC	55.00	45.00	100.00	55.00	145.00	200.00	21.75	
3	Mobile VSAT Van	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	15.50	3.79	
4	Knowledge Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	
	Total (B-5475, 03)	95.50	95.00	190.50	95.50	245.00	340.50	48.55	
	Total of (A+B)	228.79	250.00	478.79	228.79	400.00	628.79	62.34	
C.	5475-800-(05)-62								
1	SeCLAN	200.00	70.00	270.00	200.00	70.00	270.00	42.41	
2	E-Mitra	225.00	63.00	288.00	225.00	63.00	288.00	68.59	
3	e-Procurement	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	7.35	
4	IT Enablement of Secretariat	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	
5	Backend Computerization of various department.	120.00	2180.00	2300.00	120.00	2180.00	2300.00	172.70	
	Sub Total (Backend)	120.00	2180.00	2300.00	120.00	2180.00	2300.00	172.70	
6	RSWAN	585.00	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	0.00	
7	Hiring of Consultancy Services	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	
8	Innovative Projects	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
9	NEGAP	1326.00	0.00	1326.00	1326.00	0.00	1326.00	1326.00	
10	State Service Delivery Gateway	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	
	Total (5475, 05)	3051.10	2413.00	5464.10	3051.10	2413.00	5464.10	1617.05	
D.	5475-800-(08)-(03)-62	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
1	Wi-Fi City Project for Jaipur								
E.	5475-190-(01)-(01)	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	
1	Investment in RKC								
F.	5475-800-(08)-(04)-62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
1	e-Samchar								
G.	5475-800-(10)-62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	
1	IT City								
H.	5475-800-(11)-(01)-62-RGSK	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	
1	Rajeev Gandhi Seva Kendra								
	Total (C+D+E+F+G+H):	3051.12	2413.00	5464.12	3051.12	3413.02	6464.14	1617.05	
I.	4059-80-051-(40)-17								
1	IT Building	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	
	Grand Total	3316.91	2663.00	5979.91	3316.91	3813.02	7129.93	1679.39	